न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 42/2019 प्रार्थना पत्र

1. लालचन्द पिता जयराम धाकड़, आयु 55 साल, निवासी उंखलिया।
2. किशनलाल पिता जयराम धाकड, आयु 62 साल, निवासी उंखलिया।
3. शांतिलाल पिता जयराम धाकड़, आयु 58 साल, निवासी उंखलिया।
4. रामचन्द्र पिता नारायण धाकड़, आयु 65 साल, निवासी उंखलिया।
5. मथुरालाल पिता नारायण धाकड़, आयु 60 साल, निवासी उंखलिया।
6. देवीलाल पिता नारायण धाकड़, आयु 52 साल, निवासी उंखलिया।
7. मथुरालाल पिता रतनलाल धाकड़, आयु 62 साल, निवासी उंखलिया।
8. लक्ष्मीलाल पिता मोहनलाल धाकड़, आयु 27 साल, निवासी उंखलिया।
9. नानूराम पिता टोडूराम धाकड़, आयु 62 साल, निवासी उंखलिया।
10. मोतीलाल पिता टोडूराम धाकड़, आयु 70 साल, निवासी उंखलिया।
11. बाबरू पिता मोतीलाल धाकड़, आयु 70 साल, निवासी उंखलिया।
12. अनिल पिता शांतिलाल टांक, आयु 27 साल, निवासी उंखलिया।
13. रमेशचन्द्र पिता भैरूलाल धाकड़, आयु 30 साल, निवासी उंखलिया।

– प्रार्थीगण

//बनाम//

1. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, उंखलिया जरिये प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, उंखलिया।
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तोडगढ़।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू राज.अधि.
श्री बाबुलाल पाटीदार, अधिवक्ता प्रार्थीगण, उपस्थित

निर्णय दिनांक 09.09.2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:26:33 IST
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त विवरण मामला इस आशय कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाके मौजा उंखलिया में वर्तमान सेटलमेण्ट अनुसार आराजी नं. 1385 रकबा 0.8100 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसके पूर्व सेटलमेण्ट अनुसार पुराने आराजी नं. 973/573 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा है जो प्राथमिक पाठशाला उंखलिया के नाम दर्ज है। इसी प्रकार से आराजी

नं. 1386 रकबा 1.2600 हैक्टेयर भूमि जिसके पुराने नम्बर आराजी नं. 573/1485 रकबा 5 बीघा भूमि जो आबादी भूमि में दर्ज रेकार्ड थी जो वर्तमान में चट्टान के रूप में दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार वर्तमान आराजी नं. 1377 रकबा 0.6600 हैक्टेयर भूमि जिसके पुराने आराजी नं. 572/1484 मीन रकबा 5 बीघा था तथा आराजी नं. 1379 रकबा 0. 6000 हैक्टेयर जिसके पुराने आराजी नं. 572/1484मी थे, को भी आबादी में दर्ज करने की स्वीकृति हुई थी जो वर्तमान में भटवेड दर्ज कर दी। इसी प्रकार आराजी नं. 572/1486 रकबा 5 बीघा जो राजकीय कार्यालय हेतु आरक्षित थी जिसके वर्तमान आराजी नं. 1366 रकबा 0. 9800 हैक्टेयर वर्तमान में भटवेड दर्ज है। प्राथमिक पाठशाला उंखलिया के नाम दर्ज रेकार्ड है जो पुराने साबिक नक्शे में आराजी नं. 573 का भाग होकर उसके पुराने आराजी नं. 573/593 नक्शे में उक्त मूल साबिक आराजी के पश्चिम दिशा में बीचों बीच सेन्टर नक्शे में तरमीम थी लेकिन नवीन नक्शे में नवीन आराजी नं. 1385 को पश्चिमी तरफ पुरी लम्बाई तक तरमीम कर दिया है। इसी प्रकार साबिक राजस्व नक्शे में पुराने आराजी नं. 1379/573 पूर्वी तरफ दर्ज थी उसकी जगह नये आराजी नं. 1383 दर्ज होना चाहिये थे वो दर्ज नहीं हुए तथा आराजी नं. 1383 की पश्चिम दिशा में तरमीम कर दिया। इसी प्रकार आराजी नं. 573/1382 जो नक्शे में पश्चिम की तरफ दर्ज थी और वर्तमान नक्शे में नवीन आराजी नं. 1382 को नक्शे के पूर्व दिशा की तरफ दर्ज कर दी। इसी प्रकार अन्य लगी हुई आराजीयात नं. 1387, 1382, 1386 की तरमीम गलत दर्ज हो गई। प्रार्थीगण ने अभी हाल ही में राजस्व नक्शा ट्रेस की नकलें प्राप्त की तो जानकारी हुई एवं नकल प्राप्त कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा नक्शा ट्रेस में संशोधन करते हुए साबिक नक्शा ट्रेस अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस में संशोधन किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 ने न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया कि आराजी नं. 1385 रकबा 0.8100 हैक्टेयर भूमि राजकीय प्राथमिक पाठशाला, उंखलिया के खेल मैदान हेतु आवंटित भूमि है जो पत्रांक/राजस्व/मि.नं./मुत./42/69 दिनांक 07.05.1969 द्वारा उंखलिया की पुरानी आराजी नं. 573 रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा में से 3 बीघा 4 बिस्वा खेल मैदान हेतु आवंटित हुई थी। जो भूमि खेल मैदान हेतु आवंटित की गई थी, आरम्भ से खेल मैदान [illegible] पर बना हुआ है, नक्शा ट्रेस बिल्कुल सही है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की आड़ में खेल मैदान की भूमि को आबादी में दर्ज कराना चाहते हैं जिस[illegible] उनको कोई अधिकार नहीं है।

विपक्षी संख्या 2 तहसीलदार [illegible] ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी नं. 1377 रकबा 0.6600 हैक्टेयर तथा आराजी नं. 1379 रकबा 0.6600 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.2600 हैक्टेयर भूमि जिसके साबिक नम्बर 572/1484 होकर भटवेड दर्ज है जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:26:33 IST
Reason: Self-Attested

वर्तमान में भी बिलानाम सरकार है तथा पूर्व में भी कभी आबादी के रूप में दर्ज नहीं रही है। इसी प्रकार आराजी नं. 572/1486 रकबा 5 बीघा जिसके नवीन आराजी नं. 1366 रकबा 0.9800 हैक्टेयर भूमि गत व वर्तमान रेकार्ड में बिलानाम सरकार ही दर्ज रेकार्ड है।

गत रेकार्ड में आराजी नं. 573 में से आराजी नं. 973/573 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्राथमिक पाठशाला उंखलिया के नाम खेल मैदान हेतु आवंटन हुआ था जिसके नवीन आराजी नं. 1385 रकबा 0.8100 हैक्टेयर हुए जो वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उंखलिया के नाम दर्ज है। विद्यालय को आवंटन गत रेकार्ड से हुआ था, आवंटन आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 108 दायर किया गया। आवंटित भूमि पर ट्रेस तरमीम शुदा चस्पा है। उक्त ट्रेस में एवं वर्तमान नक्शे में अंकित आराजी नं. 1385 में अन्तर है। सेटलमेन्ट द्वारा विद्यालय खेल मैदान की भूमि गलत रूप से तरमीम होने से गत आराजी नं. 573 ने आबादी हेतु आवंटित भूमि के नक्शे भी प्रभावित हुए हैं। वर्तमान मौका की स्थिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा ट्रेस ग्राम उंखलिया, मिलान क्षेत्रफल, इन्तकाल संख्या 108 ग्राम उंखलिया की छायाप्रति, नकल जमाबन्दी संवत 2073-76 ग्राम उंखलिया की खाता संख्या 1, नकल जमाबन्दी संवत 2073-76 ग्राम उंखलिया की खाता संख्या 486, 493, 490 की छायाप्रति, नकल जमाबन्दी संवत 2054-57 ग्राम उंखलिया की खाता संख्या 376, नकल जमाबन्दी संवत 2058-61 ग्राम उंखलिया की खाता संख्या 1 आदि प्रस्तुत की है। साबिक नक्शा ट्रेस व नवीन नक्शा ट्रेस में अन्तर होना बताया है। बहस में विपक्षी संख्या 1 ने बताया की मौके पर प्रभावित होने वाले सभी पक्षों को प्रार्थीगण ने इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण को आरम्भ से ही इस तथ्य की जानकारी थी परन्तु प्रार्थीगण ने जानबुझकर सभी को इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया। रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत आराजीयात पर सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड निम्बाहेड़ा तथा हेमराज, धन्ना, चुन्नीलाल पिता नानुराम भील का कब्जा काश्त है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा इस प्रकरण में सभी प्रभावित पक्षों को विपक्षी नहीं बनाया गया है। प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त अनुसार सभी प्रभावितों को न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर दिया जाना न्यायोचित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आवश्यक पक्षकारों के अभाव में खारीज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण सभी प्रभावित पक्षों को पक्षकार बनाते हुए पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:26:33 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 09.09.2020 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:26:33 IST
Reason: SelfAttested